

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर भल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 46/2024 (धारा 76 भू-राज०अधि०1956) (RCMS No.2024/54)
कमलसिंह पुत्र शिवचरन जाति गुर्जर निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. कृष्णा कुमारी पत्नि लेखराज जाति पंजाबी निवासी कसाई गली कुम्हेर गेट भरतपुर।
 2. रेखा पत्नि राजपाल
 3. रामवती पत्नि अखयसिंह
 4. नायब तहसीलदार भरतपुर।
- } जाति गुर्जर निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर

..... रैस्पोंडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 20.03.2024 वसिलसिले अपील संख्या 13/2024 कमल सिंह बनाम कृष्णा कुमारी व नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 द्वारा नायब तहसीलदार भरतपुर।

उपस्थिति:-

1. श्री विजयसिंह कुन्तल वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील रैस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक:- 17.09.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 20.03.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 में कैम्प के दौरान अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 597 ग्राम बाघई नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर रैस्पोंडेन्टस के हक में दिनांक 11.05.2023 को तस्दीक किया गया। नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 को जरिये प्रथम अपील अंतर्गत 75 एल आर एक्ट अपीलान्ट कमलसिंह के द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष चुनौती दी गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 पारित करते हुये यह विवेचना करते हुये कि...." अपीलान्ट की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि बयनामा आज अस्तित्व में नहीं हो। इससे यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड बयनामा आज भी अस्तित्व में है। अतः अपील अपीलान्ट तथ्यहीन होने से काबिल खारिज के रहती है।...." उक्त अभिमत के साथ



12-9-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 से खारिज कर दी गई। नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 597 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 के विरुद्ध अपीलान्ट की ओर से उक्त द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 को भरा गया, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.05.2023 को जाँच की गई तथा दिनांक 11.05.2023 को ही नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरण बिना किसी जाँच के स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही जल्दबाजी में एक ही दिन में नामान्तकरण के नियमों की पालना किये बिना की गई है, क्योंकि किसी भी नामान्तकरण को स्वीकार किये जाने से पूर्व कब्जे की जाँच किया जाना आवश्यक होता है। जबकि उक्त प्रकरण में नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे के बारे में कोई जाँच नहीं की गई, क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलान्टस का कब्जाकाशत है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा आर.आर.डी. 1984 पेज 45(जी) पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। जिसके अनुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के तहत खोले जाने वाले नामान्तकरण में कब्जे की जाँच किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि पटवारी की ओर से बयनामों के आधार पर खोले गये नामान्तकरण के संबंध में प्रथम 45 दिवस में ग्राम पंचायत को नामान्तकरण पर सुनवाई का अधिकार होता है। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 596 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। जिसके अनुसार रजिस्टर्ड बयनामा के संबंध में खोले गये नामान्तकरण के संबंध में पहले 45 दिन के अन्दर नामान्तकरण स्वीकृत करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत को है, परन्तु उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.05.2023 को नामान्तकरण खोलकर उसी दिन भू अभिलेख निरीक्षक को

17.9.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर



प्रस्तुत किया गया है तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.05.2023 को ही बिना कब्जे की जांच किये बिना नायब तहसीलदार भरतपुर को नामान्तकरण प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा भी उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत को भिजवाने की बजाय उसी दिन स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है। अतः जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2024 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 में प्रशासन गांव के संग अभियान के लिये जारी किये गये परिपत्र का हवाला दिया गया है। उक्त परिपत्र के तहत जिस ग्राम के बाबत नामान्तकरण की कार्यवाही होनी थी। उसी ग्राम में प्रशासन गांव के संग अभियान होने पर नामान्तकरण स्वीकृत किया जा सकता था, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में न तो प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर न तो ग्राम बाघई जो ग्राम पंचायत जाटौली रथभान का गांव है, में ही और न ही ग्राम पंचायत जाटौली रथभान के मुख्यालय पर ही आयोजित किया गया। वरन् दूसरी ग्राम पंचायत में आयोजित किये गये शिविर में उक्त नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकार किया गया। इसलिये प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर हेतु जारी किये गये परिपत्र के आधार पर नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को सही माना जाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रशासन गांव के संग अभियान में कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2024 में यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य तौर के मुकदमों में पंजीकृत विक्रय पत्र में क्रेता का कब्जा माना जा सकता है, परन्तु उक्त प्रकरण में विवादित आराजी से संबंधित दावा सक्षम न्यायालय में बयनामा से पहले ही विचाराधीन था। जिसमें विक्रेता कृष्णा कुमारी का कब्जा नहीं मानते हुये दावा पेश किया गया था। विक्रेता के पति द्वारा भी एक जांच के दौरान विक्रेता कृष्णा कुमारी का कब्जा उक्त विवादित आराजी पर नहीं माना गया था। इस प्रकार जहां बयनामा से पूर्व ही कब्जा ही विवादित है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण खोलने से पूर्व कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक था, परन्तु उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2024 के द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है, जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 निरस्त किया जावे।



17-9-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान ऐसा कोई भी नया तथ्य नहीं बताया गया, जो कि अदालत मातहत में नहीं बताया गया हो। वकील अपीलान्त की ओर से जो तर्क अदालत हाजा में दिये गये हैं, वे तर्क ही अदालत मातहत में दिये गये थे। जिनके संबंध में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पूर्ण विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। विवादित भूमि से अपीलान्त का किसी प्रकार का कोई संबंध या वास्ता नहीं है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा विवादित भूमि को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 कृष्णा कुमारी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया गया है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को कय किये जाने की दिनांक को ही विवादित भूमि का कब्जा संभाला दिया गया था। इसकी पुष्टि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में हुये विक्रय पत्र की लाइन संख्या 27, 28 व 29 से भलीभांति हो रही है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि विवादित भूमि की विक्रेता है, के द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जो कि उक्त भूमि की क्रेता हैं, को कब्जा संभाला दिया गया था। अतः वकील अपीलान्त का यह तर्क कि विवादित भूमि पर रैस्पोडेन्टस का कब्जा नहीं है, मानने योग्य नहीं है। इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है। जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत जाँच करने के बाद नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में उक्त नामान्तकरण नियमानुसार खोला गया है। जब तक रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में पंजीबद्ध हुये दस्तावेज को सक्षम न्यायालय की ओर से निरस्त नहीं किया जाता है तब तक उक्त दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तकरण में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने इन दो बिन्दुओं के बारे में निर्णय किया है कि "आया नायब तहसीलदार को नामान्तकरण स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था" व "क्या नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जा बाबत जाँच करनी चाहिए थी" उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार की ओर से नामान्तकरण संख्या 597 ग्राम बधाई प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 में कैम्प के दौरान स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 में नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की शक्तियां दी गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना दिनांक 17.04.2023 जारी की गई। जिसके तहत ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार को नामान्तकरण निर्णित करने की शक्तियां दी गई थीं। इस आधार पर नायब तहसीलदार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक

17-9-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

11.05.2023 को क्षेत्राधिकारिता के तहत माना है। इसी प्रकार कब्जे के संबंध में भी यह उल्लेख किया गया है कि विवादित नामान्तकरण रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर क्रेता के नाम स्वीकार किया गया है। रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तकरण के प्रकरणों में कब्जे की जाँच की आवश्यकता नहीं रहती है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 में वर्णित प्रावधान व आर.आर.डी. 2002 पेज 723 पर प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुये यह माना है कि रजिस्टर्ड बयनामों के संबंध में कब्जे की जाँच किया जाना आवश्यक नहीं है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय स्पष्ट व स्पीकिंग है। अपीलान्त की ओर से रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में हुये विक्रय पत्र को आदिनांक तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। उक्त विक्रय पत्र वर्तमान में भी अस्तित्व में है। इसके अलावा रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के खाते में स्थित 1/2 भूमि का नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। जिसके संबंध में अपीलान्त को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्त की ओर से दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व सक्षम न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश जारी किया हुआ था तो इस संबंध में न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में इस तरह का कोई दस्तावेज पेश किया गया है। चूंकि रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 को नियमानुसार खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। इसी आधार पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्त ने तर्क दिया कि रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के द्वारा दावे के विचारण रहने के दौरान रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में विवादित भूमि को विक्रय किया है। दावे के विचारण रहने के दौरान किये गये विक्रय को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा दस्तावेज प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है। इसके अलावा नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रथम 45 दिवस हेतु क्षेत्राधिकारिता राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम पंचायत को दी हुई है। किसी भी परिपत्र के द्वारा कानून में दिये गये अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त बिन्दु पर गौर नहीं किया गया। जहां तक जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 2002 पेज 723 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त नजीर हस्तगत अपील में चस्पा नहीं होती है, क्योंकि उक्त नजीर उस प्रकरण पर ही चस्पा होती है, जहां विक्रय को लेकर कोई विवाद नहीं हो। जबकि उक्त प्रकरण में

17.9.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर



विवादित भूमि के संबंध में पूर्व से सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन था। जब विवादित भूमि का पंजीयन रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के द्वारा रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में कराया गया। उस समय भी दावा विचाराधीन था तथा स्थगन जारी था। रैस्पोजेन्ट संख्या 1 उक्त दावे में पक्षकार होने के बावजूद रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 को विवादित भूमि का नियम विरुद्ध विक्रय किया गया है। उक्त तथ्य को जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्ति निर्णय पारित करने से पूर्व नहीं देखा गया। अतः अपील अपीलान्ति स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलान्ति आदेश दिनांक 20.03.2024 निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तिकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 खारिज किया जावे।

अपीलान्ति व रैस्पोजेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलान्ति निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तिकरण संख्या 597 दिनांक 11.05.2023 को रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोल कर जाँच हेतु भू अभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि मुताबिक पंजीकृत बयनामा के नामान्तिकरण दर्ज कर अग्रिम जाँच हेतु पेश है। कोई स्थगन नहीं है। इस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.05.2023 को जाँच कर नायब तहसीलदार भरतपुर को प्रस्तुत किया गया। जिसे नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त नामान्तिकरण के विरुद्ध अपीलान्ति की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय भरतपुर में अपील पेश किये जाने पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ति निर्णय दिनांक 20.03.2024 के द्वारा अपीलान्ति की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ति की ओर से मीमो आफ अपील व बहस में वर्णित तर्कों का उल्लेख करते हुये दो बिन्दु तैयार कर बिन्दुवार निर्णय पारित किया है। जिसमें नायब तहसीलदार को नामान्तिकरण स्वीकार करने की क्षेत्राधिकारिता होने व पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में नामान्तिकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की जाँच किया जाना आवश्यक नहीं होना माना है।

वकील अपीलान्ति की ओर से मीमो आफ अपील व बहस में पुनः यही उल्लेख किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर उक्त नामान्तिकरण स्वीकृत किया गया है तथा उक्त नामान्तिकरण ग्राम बाघई या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में स्वीकृत नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ति निर्णय संबंधी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर न्यायालय में नायब तहसीलदार भरतपुर की ओर से जो जवाब पेश किया गया है। उसके साथ दिनांक 17.04.2023 को राज्य सरकार



12-9-2024
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भरतपुर

की ओर से जारी की गई अधिसूचना की प्रति संलग्न की गई है। जिसके अनुसार प्रशासन गांव के संग अभियान में नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिन्हें प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के लिये नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। दिनांक 17.04.2023 को राजस्व विभाग की ओर से परिपत्र जारी नहीं कर अधिसूचना जारी की गई है, जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये की गई है। एक ही दिनांक में पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरने, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जाँच करने व नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये जाने के संबंध में भी यह उल्लेख किया गया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान में उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि रैस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से रैस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में विवादित भूमि का विक्रय किये जाने तथा नामान्तकरण खोले जाने की दिनांक को विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन था व सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ था तो इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण में यह उल्लेख किया हुआ है कि विवादित भूमि के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं है। अपीलान्ट की ओर से इस तरह के स्थगन आदेश की कोई प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी प्रकार कब्जे के संबंध में भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में कब्जे की जाँच किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय में पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 2002 पेज 723 में भी इसी तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर खोले जाने वाले नामान्तकरण के लिये कब्जे की जाँच किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधान व नजीर के परिप्रेक्ष्य में सारहीन हो जाता है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 596 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तकरण प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान खोले जाने व स्वीकृत किये जाने तथा प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना दिनांक 17.04.2023 के द्वारा अभियान के दौरान ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अधिकृत किये जाने के कारण हमारी विनम्र राय में उक्त नजीर हस्तगत अपील पर चस्पा नहीं होती है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित अन्य नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज 45(जी) पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से भी हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त



17-9-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

